मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 03.08.2025

थाना जमालपुर पुलिस टीम द्वारा गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित ₹ 20 हजार का इनामिया गिरफ्तार—

“सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने तथा अपराध की रोकथाम एवं इनामिया/पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना जमालपुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांक 06.08.2024 को थाना जमालपुर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि इस दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष अमित कुमार मय पुलिस टीम द्वारा थाना जमालपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम जीवनाथपुर ओवर ब्रिज के पास से मु0अ0सं0--230/2025 धारा-3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित ₹ 20 हजार के इनामिया अभियुक्त राजू पुत्र रामराज निवासी शिवरामपुर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को गिरफ्तार किया गया। थाना जमालपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

राजू पुत्र रामराज निवासी शिवरामपुर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी, उम्र करीब- 40 वर्ष।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

थानाध्यक्ष- अमित कुमार, मय पुलिस टीम थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर।

****